प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 27-07-2021

गौ तस्करी व हत्या के प्रयास के 02 नफर वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 अख्तर आलम मय हमराह का0 केशरीनन्दन का0 अनीस अहमद के थाना हाजा से आज दिनांक 27.07.21 को रवाना होकर बिनावर देखभाल क्षेत्र, पेन्डिग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त ,सुरागरसी पतारसी में हाटा बाजार में मौजूद था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की गोकसी वाले मुकदमें में जिन मुल्जिमों की आप तलाश कर रहे है उसमें से दो मुल्जिम दीपक व पतिराम अपने धन्धे के चक्कर में दोहरीघाट बस अड्डे के पास एक चाय की दुकान में बैठे है चाय नास्ता कर रहे कही जाने के फिराक में है यदि आप जल्दी करे तो पकड़े जा सकते है मै पास में ही हूँ। इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराहियान के प्रस्थान कर दोहरीघाट बस अड्डे के पास आया तो मुखबीर खास वहां पर मौजूद मिला उसी समय एक चाय की दुकान से उठ कर जाते हुये दो व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुये मुखबीर खास ने बताया कि यही दोनो अभियुक्त है जिनको आप तलाश कर रहे है बताकर हट बढ़ गया । हम पुलिस वाले दोनो अभियुक्तो को पीछा कर दोहरीघाट बस अड्डे से बड़हलगंज की तरफ करीब 50 मीटर की दूरी पर एकाएक घेर कर पकड़ लिये । पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम दीपक पुत्र स्व0 हंसराज निवासी ग्राम जमीन रसुलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम पतिराम पुत्र पलकू हाल पता निवासी ग्राम जमीन रसुलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ स्थाई पता ग्राम हरईया थाना जियनपुर आजमगढ़ जामा तलाशी से दीपक पुत्र हंसराज की जेब से 120 रू0 तथा पतिराम की जेब से 100 रू0 का नोट बरामद हुआ । जिन्हे पुनः अभियुक्तगणों को सुपुर्द कर दिया गया। अभियुक्तगणों को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.35 बजे बाजाफ्ता बाकायदा अन्तर्गत धारा 307 भादवि व धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधीनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधीनियम में गिरफ्तार किया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र स्व0 हंसराज निवासी ग्राम जमीन रसुलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2-पतिराम पुत्र पलकू हाल पता निवासी ग्राम जमीन रसुलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ स्थाई पता ग्राम हरईया थाना जियनपुर आजमगढ़

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 747//2020 धारा 307 भादवि व धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधीनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधीनियम

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दोहरीघाट बस अड्डे के पास दिनांक 27-7-21 व समय करीब 10.30 बजे

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण-

(1) उ0नि0 श्री अख्तर आलम थाना गगहा जनपद गोरखपुर

(2) का0 अनीस अहमद थाना गगहा गोरखपुर

(3) का0 केशरीनन्दन थाना गगहा गोरखपुर